

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072025-264436 CG-DL-E-07072025-264436

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित

 PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 4081
 नई दिल्ली सोमबार जलाई 7, 2025/आषाळ

No. 408]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 7, 2025/आषाड़ 16, 1947 NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 2025/ASHADHA 16, 1947

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 451(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेलवे को चालू करने संबंधी (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए चालू करने) संशोधन नियम, 2025 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. उक्त नियमों के अध्याय-VIII में, नियम 36 के उप-नियम (9) के 'विधि ग' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातु:-

4449 GI/2025 (1)

"विधि ग: जब ट्रैप का प्रयोग किया गया हो, तो गाड़ी को ट्रैप लगी लाइन पर आने की तब तक अनुमित नहीं दी जायेगी जब तक कि ट्रैप को बंद नहीं कर दिया जाता जिससे कि लोको पायलट द्वारा ऐसे ट्रैप को नज़र-अंदाज़ कर दिए जाने पर गाड़ी पटरी से नहीं उतरेगी या फिर सामान्य नियम, 1976 के नियम 3.40 के खंड (3) या खंड (4) या भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग नियमावली के पैरा 7.1.18 (ई)(ii) के अधीन यथाउपबंधित।"

[फा. सं. 70/डब्ल्यू डी ओ/ओ आर आई/आर ओ/1/वॉल्यूम. X] नवीन गुलाटी, सदस्य अवसरंचना और पदेन सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में संख्यांक सा.का.नि. 625(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 579(अ), 18 सितम्बर, 2024 द्वारा संशोधित किए गये थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2025

- G.S.R. 451(E).—In exercise of the powers conferred by section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Rules, 2000, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Amendment Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In Chapter VIII of the said rules, in rule 36, in sub-rule (9), for 'Method C', the following shall be substituted, namely:-

"Method C: When a trap is used, a train shall not be admitted on to the trapped line unless the trap has been closed, so that the train shall not be derailed, if the Loco Pilot overshoots such trap, except as provided under clause (3) or clause (4) of rule 3.40 of general rules, 1976 or para 7.1.18 (e)(ii) of Indian Railways Signal Engineering Manual."

[F. No. 70/WDO/ORI/RO/1/Vol. X]

NAVEEN GULATI, Member Infrastructure and Ex-Officio Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 625(E), dated the 21st July, 2000 and was last amended *vide* number G.S.R. 579(E), dated the 18th September, 2024.